भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 163

जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2022 को दिया जाना है

भारत की नाभिकीय ऊर्जा नीति

163 डा. सस्मित पात्रा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की नाभिकीय ऊर्जा नीति क्या है;

(ख) यह नीति भारत की वृद्धि और विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में किस प्रकार सहायता कर रही है; और

(ग) इस क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में परमाणु ऊर्जा नीति कितनी सफल रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ.जितेंद्र सिंह) :

(क) भारत की परमाणु ऊर्जा नीति परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के माध्यम से घोषित की गई है जिसमें भारत के लोगों के कल्याण के लिए और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और इससे संबंधित मामलों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए प्रावधान है ।

(ख) केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह निर्धारित और रेडियोसक्रिय पदार्थों, प्रौद्यौगिकियों या विकिरण उत्पादन संयंत्रों के नियंत्रण के लिए प्रावधान करें और परमाणु ऊर्जा इत्यादि से विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति के लिए योजना बनाएं । केंद्रीय सरकार को यह अधिभार भी प्राप्त है कि ऐसे पदार्थ अधिगृहीत कर सके, जिसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम या उनका कोई भी आइसोटोप या निष्कर्षक शामिल हो, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवश्यक हो ।

(ग) परमाणु ऊर्जा नीति की सफलता का मूल्यांकन नाभिकीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, यूरेनियम और विरल धातु-अन्वेषण, खनन और पेषण (मिलिंग) खाद्य सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि जैसी सरकार की विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है ।

* * * * *